प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक-09.03.2023**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 66/2024 धारा 323/504/506/308 भादवि में वाँछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.02.2024 को थाना दोघट पर वादिया ने सूचना दी कि दिनांक 20.02.2024 को वादिया के जेठ, सास व ससुर निवासीगण ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादिया के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई, जिससे वह बेहोश हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 66/2024 धारा 323/504/308 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान व प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 506 भादवि की बृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 66/2024 धारा 323/504/506/308 भादवि में वाँछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एंव अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीटू उर्फ हर्षपाल पुत्र जयपाल निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार यादव थाना दोघट जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री नत्थूलाल थाना दोघट जनपद बागपत।